संख्या-57/2018/क0नि0-4-1693/11-2018-300(41)/17

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कमिश्नर,
वाणिज्य कर,
उ0प्र0 लखनऊ।

कर एवं निबंधन अनुभाग-4 **लखनऊ: दिनांकः 14 नवम्बर, 2018**

विषयः- वाणिज्य कर विभाग में कैडर रिस्ट्रक्चरिंग के कार्य हेतु आई0आई0एम0, लखनऊ को धनराशि रु0-29.50 लाख के अग्रिम भुगतान की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-क0नि0-4-1048/11-2018-300(41)/17, दिनांक 06.09.2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वाणिज्य कर विभाग में कैडर रिस्ट्रक्चरिंग के कार्य हेतु आई0आई0एम0, लखनऊ को धनराशि रु0-59.00 लाख का भुगतान किए जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी है।

2- उक्तानुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वाणिज्य कर विभाग में कैडर रिस्ट्रक्चरिंग के कार्य हेतु धनराशि रु0-29.50 लाख (रुपया उन्तीस लाख पचास हजार मात्र) का अग्रिम भुगतान आई0आई0एम0, लखनऊ को किए जाने की सहर्ष स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(1) धनराशि कार्यदायी संस्था को निर्गत किये जाने के दिनांक से उनके द्वारा वास्तविक उपयोग किये जाने की तिथि तक अर्जित ब्याज को राजकोष में जमा कराया जाएगा।

(2) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी धन को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है, तो उसके लिए भी सम्बन्धित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार होगा।

(3) पूर्व में दी गई समस्त अग्रिम धनराशि का समायोजन दिनांक 31.03.2019 तक अवश्य करा लिया जाएगा तथा प्रश्नगत धनराशि का समायोजन कराते हुए महालेखाकार के पुस्तांकित आंकडों में भी समायोजन सुनिश्चित करा लिया जायेगा।

(4) किसी भी अन्य अग्रिम भुगतान के लिए वित्त विभाग की सहमति प्राप्त की जानी होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

3- उक्त के सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2018-19 में 'अनुदान सं0-89 के लेखाशीर्षक 2040-बिक्री, व्यापर आदि पर कर-800-अन्य व्यय-03-वाणिज्य कर आयुक्त का अधिष्ठान-16-व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान' के नामे डाला जाएगा।

4- यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9 के अशासकीय संख्या-यू0ओ0-ई-9-906 /दस-2018, दिनांक 12.11.2018 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(अरविन्द कुमार)
उप सचिव।

संख्या-57/2018/क0नि0-4-1693(1)/11-2018, तद्दिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ, उ0प्र0।
4. एडी0 कमिश्नर (लेखा), वाणिज्य कर मुख्यालय, लखनऊ।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9
6. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
7. वित्त (लेखा) अनुभाग-1
8. बजट सहायक/गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(अरविन्द कुमार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।